रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 2011/माघ 15, 1932
No. 209]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2011/MAGHA 15, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2011

का.आ. 249(अ).—प्रारूप नियम, अर्थात् प्लास्टिक (विनिर्माण, उपयोग और अपशिष्ट प्रबंध) नियम, 2009 को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कानूनी आदेश संख्यांक 2400(अ), तारीख 17 सितम्बर, 2009 द्वारा जो उसी तारीख के भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 17 सितम्बर, 2009 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से उक्त अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुन:चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999 को उन बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई हैं या करने से लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :—

नियम 5 और नियम 8 के उपबंध निर्यात अभिमुखी विनिर्माण इकाइयों द्वारा संबद्ध विनिर्माण इकाई के स्वामी या अधिष्ठाता द्वारा प्राप्त निर्यात आदेश के विरुद्ध अनन्य रूप से निर्यात प्रयोजनों के लिए कैरी बैगों के निर्माण के लिए लागू नहीं होंगे । यह छूट, किसी अधिशेष या निराकृत, अवशेष और इसी प्रकार के अन्य पर लागू नहीं होती है ।

400 GI/2011

3. **परिभाषाएं:-** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) **"अधिनियम"** से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) **"कैरी बैग"** से सभी प्लास्टिक के बैग अभिप्रेत हैं जो वस्तुओं को ले जाने के लिए जिनमें स्वतः वहन करने की विशिष्टताएं सम्मिलित हैं, उपयोग किए जाते हैं;

(ग) **"वस्तुओं"** से सम्मिलित चीजें अभिप्रेत हैं किन्तु वे सब्जियों, फलों, भेषजीय, खाद्य-पदार्थों और इसी प्रकार की अन्य चीजों तक सीमित नहीं है;

(घ) **"कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक"** से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन-डाई-ऑक्साइड जल, अकार्बनिक यौगिकों को कंपोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कंपोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य, विशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट नहीं छोड़ती है;

(ङ) **"सहमति"** से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्थापित करने की सहमति और उसे चलाने की सहमति अभिप्रेत है;

(च) **"विघटन"** किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है;

(छ) **"विस्तृत उत्पादक का उत्तरदायित्व (ईपीआर)"** से प्लास्टिक कैरी बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों या ऐसे उत्पाद के, जब तक कि उसका जीवन समाप्त न हो, पर्यावरण रूप से सुदृढ प्रबंध के लिए पैकेजों के उत्पादक या विनिर्माणकर्ता का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;

(ज) **"खाद्य पदार्थ"** से द्रव, चूर्ण, ठोस या अर्द्ध ठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या पकाए हुए खाद्य पदार्थ अभिप्रेत हैं ;

(ञ) **"विनिर्माणकर्ता"** से ऐसा कोई उत्पादनकर्ता अभिप्रेत है जो प्लास्टिक कैरी बैग, बहुस्तरीय पैकेजिंग, पाउचों और इसी प्रकार की अन्य चीजों का उत्पादनकर्ता है या किसी उत्पाद की पैकेजिंग में ऐसे पदार्थों का उपयोग करता है;

(ञ) **"नगर पालिका प्राधिकरण"** से नगर निगम, म्यूनिसिपलिटी, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् अभिप्रेत हैं जिसमें अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी) या सुसंगत कानूनों के अधीन गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय और जहां नगर पालिका का प्रबंध और प्रहस्तन किसी ठोस अपशिष्ट के बारे में ऐसे अभिकरण को सौंपा गया है, सम्मिलित है;

(ट) **"बहुस्तरीय प्लास्टिक"** से कोई ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जो पैकेजिंग सामग्री का एक से अधिक संयोजन रखती है जैसे पेपर, पेपर बोर्ड, बहुलक सामग्रियां, धात्विक सतहों या एल्युमिनियम पन्नियां जो या तो लैमिनेट प्ररूप में या सह-बहिर्वेधन संरचना के प्ररूप में हो;

(ठ) **"प्लास्टिक"** से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें उच्च बहुलक के आवश्यक तत्व अंतर्विष्ट हो और जो तैयार उत्पादों की प्रक्रिया में ठीक उसकी प्रक्रिया में किसी स्तर तक बहाव द्वारा आवरित किया जा सकता हो ;

(ड) **"प्लास्टिक अपशिष्ट"** से ऐसे कोई प्लास्टिक उत्पाद अभिप्रेत है जैसे कैरी बैग, पाउच या बहुस्तरीय पैकेजिंग, जिसको उपयोग के पश्चात् या जिसका आशयित जीवन समाप्त हो जाने पर फेंक दिया जाता है;

(ढ) **"रजिस्ट्रीकरण"** से यथास्थिति, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से अप्रयुक्त या पुनःचक्रित प्लास्टिकों से बने कैरी बैगों के विनिर्माण या पुनःचक्रण की इकाईयों का रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है ;

(ण) **"अप्रयुक्त प्लास्टिक"** से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिप्रेत है जो पूर्व उपयोग नहीं की गई है और जो स्क्रैप या अपशिष्ट में भी सम्मिलित नहीं की गई है;

(त) **"अपशिष्ट प्रबंध"** से प्लास्टिक अपशिष्ट की वैज्ञानिक रूप से कमी, पुनःउपयोग, पुनःप्राप्ति, पुनःचक्रण, कंपोस्टिंग या व्ययन अभिप्रेत है;

(थ) "अपशिष्ट चुनने वाले" से प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण में लगे हुए व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अभिप्रेत हैं ।

4. **विहित प्राधिकरण-**

विहित प्राधिकरण से निम्नलिखित प्राधिकरण अभिप्रेत हैं-

(क) प्राधिकरण, विनिर्माण, पुनःचक्रण और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति होगी ;

(ख) पश्च उपभोक्ता प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए संबद्ध नगर पालिका प्राधिकरण होगी ।

5. **शर्तें-**

कैरी बैगों और सैशे के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग के अनुक्रम दौरान निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएंगी, अर्थात्:-

(क) कैरी बैग या तो सफेद या केवल उन रंजकों और रंगकों के अनुसार होंगे जो खाद्य सामग्री, भेषजीय पदार्थों और पीने के पानी के संपर्क में आने वाली प्लास्टिकों के उपयोग के लिए समय-समय पर यथा संशोधित, रंजकों और रंगक की सूची नामक भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश 9833: 1981 के अनुरूप हैं ;

(ख) कोई व्यक्ति, खाद्य सामग्री को भंडार करने, वहन करने, वितरण करने या पैकेजिंग करने के लिए पुनःचक्रित प्लास्टिक या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने कैरी बैगों का उपयोग नहीं करेगा ;

(ग) कोई व्यक्ति, किसी अप्रयोज्य या पुनःचक्रित या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने किसी कैरी बैग का जो मोटाई में 40 माइक्रोन्स से कम है, विनिर्माण, भंडार, वितरण या विक्रय नहीं करेगा ;

(घ) गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री हेतु प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का उपयोग नहीं किया जाएगा ;

(ङ) पुनःचक्रित कैरी बैग, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक विनिर्देश भा.मा. 14534: 1998 के अनुरूप होंगे ;

(ग) कंपोस्ट योग्य प्लास्टिकों से बने कैरी बैग समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक भा.मा./भा.मा.स. 17088 : 2008 के अनुरूप होंगे;

6. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध -**

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध निम्न प्रकार होगा :-

(क) प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण, पुनःप्राप्ति या व्ययन समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत नियमों, विनियमों और मानकों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) प्लास्टिक का पुनःचक्रण, समय समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के भा.मा. 14534 : 1998 के अनुसार किया जाएगा ;

(ग) नगर पालिका प्राधिकरण, अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की स्थापना, उसका प्रचालन और उसके समन्वय के लिए तथा निम्नलिखित सहयोजित कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात् :- (i) प्लास्टिक अपशिट के सुरक्षित संग्रहण, भंडारण , पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना; (ii) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो; (iii) विनिर्माणकर्ताओं सहित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए संग्रहण केन्द्रों की स्थापना सुनिश्चित करना; (iv) पुनःचक्रित करने वालों को इसका प्रचालन सुनिश्चित करना; (v) सभी पणधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना ; (vi) अपशिष्ट प्रबंध में, अपशिष्ट चुनने वालों सहित कार्य करने वाले अभिकरणों या समूहों को लगाना और (vii) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट का खुले में जलाया जाना अनुज्ञात नहीं होगा ;

(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र की स्थापना के लिए नगर पालिका प्राधिकरण, विनिर्माणकर्ताओं से ऐसे संग्रहण केन्द्र स्थापित करने के लिए अपेक्षित वित्त उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत उत्पादककर्ता के उत्तरदायित्व (ई पी आर) के सिद्धांत के अनुसार या तो सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से पूछ सकेगा;

(ङ) पुनःचक्रणकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि पुनःचक्रण सुविधाएं, भारतीय मानक ब्यूरो के प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक भा.मा. 14534 : 1998 के अनुसार हैं और समय समय पर यथा संशोधित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन नियमों के अनुपालन में हैं;

(च) संबद्ध नगर पालिका प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि पुनःचक्रण प्रक्रिया से उत्पन्न अवशेष, समय समय पर यथा संशोधित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2000 की अनुसूची 2 और अनुसूची 3 (लैंड फिल साइट्स के लिए विनिर्देश) के अनुपालन में व्ययनित किए गए हैं;

(छ) नगर पालिका प्राधिकरण, सभी शेहरी स्थानों निकायों के नगर पालिका उपविधियों में उक्त नियमों को सम्मिलित करेगा ;

(ज) नगर पालिका प्राधिकरण, ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करके जैसे सड़क निर्माण में, सह-भष्मीकरण आदि द्वारा प्लास्टिक के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा । ऐसी प्रौद्योगिकी को उपयोग करने के लिए आशयित नगर पालिका प्राधिकरण या प्रचालक इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रदूषण सन्नियमों सहित विहित मानकों का अनुसरण सुनिश्चित करेंगे ।

7. **कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक सामग्रियों के लिए नयाचार** - प्लास्टिक सामग्री के अवक्रमण की डिग्री और विघटन की डिग्री का निर्धारण, इन नियमों से उपाबद्ध सूची में भारतीय मानक ब्यूरो के नयाचारों के अनुसार होगा ।

8. **विपणन या लेबल लगाना-**

(क) प्रत्येक प्लास्टिक कैरी बैग और बहुस्तरीय पैकेजिंग निम्नलिखित जानकारी के साथ अंग्रेजी में या स्थानीय भाषा में मुद्रित होगी, अर्थात् :-

(i) कैरी बैग की दशा में विनिर्माणकर्ता का नाम, उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या और मोटाई ;

(ii) बहुस्तरीय पैकेजिंग की दशा में विनिर्माणकर्ता का नाम और उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या ।

(ख) प्रत्येक पुनःचक्रित कैरी बैग पर निम्नलिखित रूप में यथादर्शित "पुनःचक्रित" लेबल या चिन्ह होगा और भारतीय मानक ब्यूरो के समय समय पर यथा संशोधित पुनःचक्रित प्लास्टिक के लिए मार्गदर्शक नामक विनिर्देश भा.मा. 14534: 1998 के अनुसार होगा;

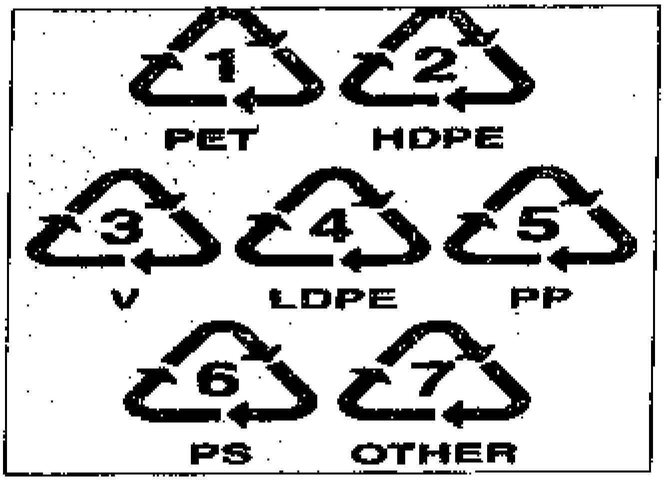

टिप्पण: पैट-पोलीथाइलिन टैरीफैथेलेट, एचडीईपी-उच्च-डेंसिटी पोलीथाइलिन, वी-विनाइल(पीवीसी), एलडीपीई -निम्न डेंसिटी पोलीथाइलिन, पीपी-पोलीप्रोपिलिन, पीएस पोलीस्टायरिन और अन्य से अभिप्रेत सभी अन्य राल और बहुसामग्रियां हैं जैसे एबीएस (एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन स्टायरिन), पीपीओ (पोलीफेनाइलिन ऑक्साइड), पीसी (पोलीकार्बोनेट), पीबीटी (पोलीबूटीलेन पेरीफेलेट) आदि।

(ग) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने प्रत्येक कैरी बैग पर "कंपोस्ट योज्य" का लेबल लगा होगा और भारतीय मानक ब्यूरो के कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक विनिर्देश भा.मा./भा.मा.स. 17088 : 2008 के अनुरूप होगा।

(घ) फुटकर विक्रेता, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा विक्रीत प्लास्टिक कैरी बैग और बहुस्तरीय पैकेजिंग, इन नियमों के अधीन अनुबन्धों के अनुसार समुचित रूप से लेबल लगाए गए हैं।

9. विनिर्माकर्ता और पुनःचक्रणकर्ता का रजिस्ट्रीकरण-

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो कैरी बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिकों का विनिर्माण करता है या विनिर्माण करने के लिए प्रस्ताव करता है, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 1 का प्रयोग करते हुए विनिर्माण यूनिट के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के

लिए संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या संघ राज्यक्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को आवेदन करेगा ।

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो कैरी बैग और बहुस्तरीय प्लास्टिकों या प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण करता है या पुनःचक्रण करने के लिए प्रस्ताव करता है इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 2 का प्रयोग करते हुए पुनःचक्रण यूनिट के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा ।

(ग) कोई व्यक्ति कैरी बैगों या पुनःचक्रित प्लास्टिक बैगों या बहुस्तरीय प्लास्टिकों का विनिर्माण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने उत्पादन के प्रारंभ से पूर्व यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न हो गया हो ;

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति विनिर्माण या पुनःचक्रण यूनिटों के लिए कोई रजिस्ट्रीकरण तब तक जारी नहीं करेगी या उसका नवीकरण नहीं करेगी जब तक कि यूनिट, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन कोई विधिमान्य सहमति नहीं रखती हो और जिला उद्योग केन्द्र या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र न रखती हो ;

(ङ) प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण अनुदान करने पर विनिश्चय करेगी ;

(च) इस नियम के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण जब तक कि वह विखंडित, निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ; और रजिस्ट्रीकरण को, विनिर्माणकर्ता को सुनवाई का एक अवसर दिए बिना विखंडित, निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा ;

(छ) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पूर्व किया जाएगा ।

10. कैरी बैग्ज़ की कीमत सुनिश्चित करना - कोई भी कैरी बैग, उपभोक्ता को फुटकर विक्रेता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराया जाएगा । संबद्ध नगरपालिका प्राधिकरण,

अधिसूचना द्वारा, कैरी बैगों के लिए, उनकी क्वालिटी और साइज पर आधारित जिसमें उनकी सामग्री और अपशिष्ट प्रबंधन लागत भी सम्मिलित है, उनके पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को कम किया जा सके, न्यूनतम कीमत अवधारित करेगा ।

11. राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय -

(1) इन नियमों के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए एक राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय होगा ।

(2) राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(क) सचिव, शहरी विकास विभाग - अध्यक्ष ;

(ख) राज्य पर्यावरण विभाग से एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण समिति से एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(घ) शहरी स्थानीय निकाय से एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(ङ) गैर सरकारी संगठन से एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(च) उद्योग क्षेत्र से एक विशेषज्ञ - सदस्य ; और

(छ) शिक्षा संस्था के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ - सदस्य ।

(3) राज्य स्तरीय सलहकार निकाय, एक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा और यदि वह आवश्यक समझता है तो विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा ।

12. वार्षिक रिपोर्ट -

(1) प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण समिति, प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक इन नियमों के क्रियान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्लास्टिक अपशिष्टों के उपयोग और प्रबंधन पर समेकित एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसको प्रत्येक वर्ष 30 दिसम्बर से पूर्व अपनी सिफारिशों के साथ केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा ।

[फा. सं. 17-2/2001-एचएसएमडी]

राजीव गाबा, संयुक्त सचिव

उपाबंध

[नियम 7 देखें]

1.	भा.मा./ भा.मा. स. 14851: 1999 जलीय माध्यम में प्लास्टिक की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - बंद रेसपीरोमीटर में ऑक्सीजन की आवश्यकता मापन द्वारा पद्धति ।
2.	भा.मा./ भा.मा. स. 14852: 1999 जलीय माध्यम में प्लास्टिक की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति ।
3.	भा.मा./ भा.मा. स. 14853: 2005 प्लास्टिक - जलीय तंत्र में प्लास्टिक की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - बायोगैस उत्पादन के मापन द्वारा पद्धति ।
4.	भा.मा./ भा.मा. स. 14855-1: 2005 नियंत्रिक संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति (भाग - 1 सामान्य पद्धति) ।
5.	भा.मा./ भा.मा. स. 14855-2: 2007 नियंत्रिक संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति (भाग - 2 प्रयोगशाला पद्धति) ।
6.	भा.मा./ भा.मा. स. 15985: 2004 प्लास्टिक - उच्च - ठोसता की ऑक्सी (एनोरोबिक) डाईजेशन स्थितियों में अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी (एनोरोबिक) जैव विघटनीयता एवं विघटन ज्ञात करना - निकली बायोगैस की विश्लेषण पद्धति ।
7.	भा.मा./ भा.मा. स. 16929: 2002 प्लास्टिक - पायलट मापन परीक्षण में परिभाषित संघटक स्थितियों में विघटन का स्तर ज्ञात करना ।
8.	भा.मा./ भा.मा. स. 17556: 2003 प्लास्टिक - रेसपीरोमीटर में ऑक्सीजन की आवश्यकता अथवा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के मापन द्वारा मृदा में अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना ।
9.	भा.मा./ भा.मा. स.20200: 2004 - प्रयोगशाला में अनुरूपी कंपोस्टिंग स्थितियों में प्लास्टिक सामग्रियों के विघटन का स्तर ज्ञात करना-स्केल परीक्षण ।

प्ररूप 1

[नियम 9 देखें]

प्लास्टिक कैरी बैग और बहुस्तरीय प्लास्टिकों के विनिर्माण के लिए किसी इकाई के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

प्रेषक.................................

....

.... (अधिष्ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

.... राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

....

....

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट (विनिर्माण और प्रहस्तन) नियम, 2011 के नियम 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं ।

भाग - क

साधारण

1.(क)	इकाई का नाम और अवस्थिति	
(ख)	इकाई का नाम	
(ग)	निम्नलिखित के विनिर्माण के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण : (i) कैरी बैग : (ii) बहुस्तरीय प्लास्टिक	
(घ)	विनिर्माण क्षमता	
(ङ)	नवीकरण की दशा में पूर्व रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	

2.	क्या इकाई, राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में डी आई सी /डीसीएसएसआई में रजिस्ट्रीकृत है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें ।	
3.(क)	परियोजना पर विनिधानित कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन के आरंभ करने का वर्ष	
4.(क)	उत्पादों और उप उत्पादों की सूची और मात्रा	
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा	
5.	उत्पादों और उत्पादित अपशिष्ट निबंधनों में जिसके अंतर्गत केप्टिव विद्युत उत्पादन और जल भी है, इनपुट और आउटपुट को दर्शित करते हुए विनिर्माणकारी प्रक्रिया का एक प्रवाहित डायग्राम प्रस्तुत करें ।	
6.	विनिर्मित किए जाने वाले कैरी बैगों का न्यूनतम आकार	
7.	इन नियम के अनुपालन की प्रास्थिति	

भाग - ख

द्रव बहिस्राव और गैसीय उत्सर्जन से संबंधित

8.	(क) क्या इकाई, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
	(ख) क्या इकाई, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का14) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	

भाग - ग

अपशिष्ट से संबंधित

9.	ठोस अपशिष्ट : (क) उत्पादित अपशिष्ट की कुल मात्रा (ख) संयंत्र के भीतर भंडारण की पद्धति (ग) अपशिष्टों के व्ययन के लिए किए गए उपबंध	

नाम और हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख :

स्थान :

प्ररूप - 2

[नियम 9 देखें]

पुनःचक्रण प्लास्टिक अपशिष्टों के लिए पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंध व्यवहारों को प्रसंस्कृत करने वाली सुविधाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

1.	इकाई का नाम और पता	
2.	संपर्क व्यक्ति, पदनाम, टेलीफोन / फैक्स/ ई.मेल सहित	
3.	किए जाने की तारीख	
4.	कर्मकारों की संख्या (संविदा श्रम सहित)	
5.	सहमति विधिमान्यता	क. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 ....तक विधिमान्य । ख. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 ....तक विधिमान्य ।
6.	प्राधिकरण विधिमान्यता	
7.	विनिर्माण प्रक्रिया	कृपया विनिर्माण प्रक्रिया का प्रवाहित डायग्राम संलग्न करें प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रवाहित डायग्राम ।

8.	उत्पाद और उत्पादन की संस्थित क्षमता (एम टी ए)	उत्पाद	संस्थित क्षमता	
9.	पिछले तीन वर्षों के दौरान विनिर्मित उत्पाद (यथा लागू)	वर्ष	उत्पाद	मात्रा
10.	पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रयुक्त कच्चा माल (यथा लागू)	वर्ष	उत्पाद	मात्रा
11.	जल उपभोग	औद्योगिक.............एम^3 / दिन घरेलू............ /.एम^3/ दिन		
	वह तारीख जिस तक जल उपकर संदत्त किया गया है (यदि लागू हो तो)			
	सहमति के अनुसार अपशिष्ट जल उत्पादन ....एम^3 /दिन	वस्तुतः उत्पादित अपशिष्ट जल (पिछले 3 मास का औसत) औद्योगिक.............एम^3 /दिन घरेलू.............एम^3 /दिन		
	अपशिष्ट जल अभिक्रिया (अभिक्रिया स्कीम का प्रवाहित डायग्राम दें)	औद्योगिक घरेलू		
	अपशिष्ट जल उत्सर्जन	मात्रा............... एम^3/ दिन अवस्थान .... राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा नियत पी एच, बी ओ डी, सी ओ डी, एस एस, ओ एंड जी अन्य पैरामीटर के लिए अपशिष्ट जल अभिक्रिया का विश्लेषण ।		
12.	वायु प्रदूषण नियंत्रण			
	क. प्रत्येक प्रसंस्करण इकाई, उपयोगिताओं आदि के लिए संस्थित " स्राव नियंत्रण प्रणाली (प्रणालियों) के लिए प्रवाहित डायग्राम दें स			
	ख. सामग्री प्रहस्तन, प्रक्रिया, उपयोगिताओं आदि के कारण कच्चे			

	" स्रावों के नियंत्रण के लिए उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे।				
	ग. ईंधन उपभोग	ईंधन		मात्रा प्रतिदिन / मास	
		(i)			
		(ii)			
	घ. स्टेक स्राव मानीटरिंग	निम्नलिखित से संलग्न स्टेक		" स्राव (एसपीएम, एम ओ$_2$, एनओ एक्स आदि) एमजी/ एम^3	
		(i)			
		(ii)			
	ङ परिवेशी वायु क्वालिटी	अवस्थान परिणाम एमजी/ एनएम^3		पैरामीटर (एसपीएम, एम ओ$_2$, एनओ एक्स आदि) एमजी/ एनएम^3	
		(i)			
		(ii)			
13.	अपशिष्ट प्रबंधन :	क्रम संख्या	प्रकार	प्रवर्ग	मात्रा
	क. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण में अपशिष्ट उत्पादन	(i)			
		(ii)			
		(iii)			
	ख. अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन (ब्यौरे संलग्न करें)				
	ग. अपशिष्ट व्ययन ब्यौरे	क्रम संख्या	प्रकार	प्रवर्ग	मात्रा
		(i)			
		(ii)			
	घ. व्ययन सुविधा के ब्यौरे दें ; क्या सुविधा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्राधिकृत है				
	ङ कृपया उत्पादित अपशिष्ट के प्रकृतिकरण की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें (यदि लागू हो तो निक्षालन परीक्षण सहित)				

14.	कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए, यथास्थिति, विक्रय, नीलामी, संविदा या आयात के माध्यम से अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्लास्टिक अपशिष्ट ब्यौरे	(i) नाम (ii) अपेक्षित मात्रा / वर्ष
15.	अधिभोग सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलू	कृपया सुविधाओं के ब्यौरे दें।
16.	टिप्पण :	
	क्या इकाई, " स्राव / बहिस्राव के मानकों के अनुपालन के लिए पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां/ उपस्कर रखती है।	यदि हां, तो कृपया ब्यौरे दें।
	क्या इकाई, उक्त नियमों में अधिकथित शर्तों के अनुपालन में है।	हां / नहीं
	क्या प्रहस्थित / प्रसंस्कृत की जाने वाली सामग्री की ऐसी शर्तें विद्यमान हैं या विद्यमान होने की संभावना है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल शीघ्र या विलंबित प्रभाव पड़ता है।	हां / नहीं
	क्या प्रहस्थित / प्रसंस्कृत की जाने वाली सामग्री की, किसी ऐसे उपाय द्वारा जो किसी ऐसी अन्य सामग्री को (अर्थात् निक्षालन) उत्पन्न करने में समर्थ है जो पर्यावरण विषाक्तता रखती है, शर्तें विद्यमान हैं (या विद्यमान होने की संभावना है)।	हां / नहीं
17.	कोई अन्य संगत जानकारी	
18.	नियम के अनुसार संलग्नकों की सूची	

नाम और हस्ताक्षर
पदनाम

तारीख :

स्थान :

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2011

S.O. 249(E).— Whereas the draft rules, namely, the Plastics (Manufacture, Usage and Waste Management) Rules, 2009 were published by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 2400(E), dated the 17th September, 2009 in the Gazette of India, Extraordinary of the same date inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS copies of the said Gazette were made available to the public on the 17th day of September, 2009;

AND WHEREAS the objections and suggestions received within the said period from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the Recycled Plastics Manufacture and Usage Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Rules, namely:-

1. Short title and commencement .-

(1) These rules may be called the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.-

The provisions of rules 5 and 8 shall not apply to the manufacture of carry bags exclusively for export purposes, by export oriented manufacturing units, against an order for export received by the owner or occupier of the concerned manufacturing unit. This exemption does not apply to any surplus or rejects, left over and the like.

3. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires .-

(a) **"Act"** means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) **"Carry bags"** mean all plastic bags used to carry commodities, including self carrying features;

(c) **"Commodities"** mean articles; including but not limited to vegetables, fruits, pharmaceuticals, food grains and the like;

(d) **"Compostable plastics"** mean plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO_2, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;

(e) **"Consent"** means the consent to establish and operate from the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee granted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981);

(f) **"Disintegration"** means the physical breakdown of a material into very small fragments;

(g) **"Extended producer's responsibility (EPR)"** means the responsibility of a producer or manufacturer of plastic carry bags and multilayered plastic pouches or packages for the environmentally sound management of the product until the end of its life. This responsibility also applies to all manufactures using such packaging;

(h) **"Food-stuffs"** mean ready to eat food products, fast food, processed or cooked food in liquid, powder, solid or semi-solid form;

(i) **"Manufacturer"** means any producer who manufactures plastic carry bags, multilayered packaging, pouches and the like or uses such materials in packaging of a product;

(j) **"Municipal authority"** means Municipal Corporation, Municipality, Nagar Palika, Nagar Nigam, Nagar Panchayat, Municipal Council including notified area committee (NAC) or any other local body constituted under the relevant statutes and, where the management and handling of municipal solid waste is entrusted to such agency;

(k) **"Multilayered plastics"** mean any material having a combination of more than one layer of packaging material such as paper, paper board, polymeric materials, metalised layers or aluminium foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;

(l) **"Plastic"** means material which contains as an essential ingredient a high polymer and which at some stage in its processing into finished products can be shaped by flow;

(m) **"Plastic waste"** means any plastic product such as carry bags, pouches or multilayered packaging, which have been discarded after use or after their intended life is over;

(n) **"Registration"** means registration of units manufacturing or recycling carry bags made of virgin or recycled plastics with the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be;

(o) **"Virgin plastic"** means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;

(p) **"Waste management"** means the scientific reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste;

(q) **"Waste pickers"** mean individuals or groups of individuals engaged in the collection of plastic waste.

4. **Prescribed Authority.-**

The prescribed Authority means the Authority-

(a) for enforcement of the provisions of these rules related to authorization, manufacture, recycling and disposal shall be State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of Union territory;

(b) for enforcement of the provisions of these rules relating to the use, collection, segregation, transportation and disposal of post consumer plastic waste shall be the concerned municipal authority.

5. **Conditions.**- During the course of manufacture, stocking, distribution, sale and use of carry bags and sachets, the following conditions shall be fulfilled, namely:-

(a) carry bags shall either be white or made using only those pigments and colourants which are in conformity with Indian Standard : IS 9833:1981 titled as List of pigments and colourants for use in plastics in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water, as amended from time to time;

(b) no person shall use carry bags made of recycled plastics or compostable plastics for storing, carrying, dispensing or packaging food stuffs;

(c) no person shall manufacture, stock, distribute or sell any carry bag made of virgin or recycled or compostable plastic, which is less than 40 microns in thickness;

(d) sachets using plastic material shall not be used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala;

(e) recycled carry bags shall conform to the Indian Standard: IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;

(f) carry bags made from compostable plastics shall conform to the Indian Standard: IS/ISO 17088:2008 titled as Specifications for Compostable Plastics, as amended from time to time.

6. **Plastic Waste Management.**-

The plastic waste management shall be as under:-

(a) recycling, recovery or disposal of plastic waste shall be carried out as per the rules, regulations and standards stipulated by the Central Government from time to time;

(b) recycling of plastics shall be carried out in accordance with the Indian Standard : IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;

(c) the municipal authority shall be responsible for setting up, operationalisation and co-ordination of the waste management system and for performing the associated functions, namely:- (i) to ensure safe collection, storage, segregation, transportation, processing and disposal of plastic waste; (ii) to ensure that no damage is caused to

the environment during this process; (iii) to ensure setting up of collection centres for plastic waste involving manufacturers; (iv) to ensure its channelisation to recyclers; (v) to create awareness among all stakeholders about their responsibilities; (vi) to engage agencies or groups working in waste management including waste pickers, and (vii) to ensure that open burning of plastic waste is not permitted;

(d) for setting up plastic waste collection centres, the municipal authority may ask the manufacturers, either collectively or individually in line with the principle of Extended Producer's Responsibility (EPR) to provide the required finance to establish such collection centre;

(e) recyclers shall ensure that recycling facilities are in accordance with the Indian Standard: IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics and in compliance with the rules under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time;

(f) the concerned municipal authority shall ensure that the residues generated from recycling processes are disposed of in compliance with Schedule II (Management of Municipal Solid Wastes) and Schedule III (Specifications for Landfill Sites) of the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time;

(g) the municipal authority shall incorporate the said rules in the Municipal bye laws of all the Urban Local Bodies;

(h) the municipal authority shall encourage the use of plastic waste by adopting suitable technology such as in road construction, co-incineration etc. The municipal authority or the operator intending to use such technology shall ensure the compliance with the prescribed standards including pollution norms prescribed by the competent authority in this regard.

7. **Protocols for Compostable Plastic Materials.** - Determination of the degree of degradability and degree of disintegration of plastic material shall be as per the protocols of the Indian Standards listed in the Annexure to these rules.

8. Marking or Labelling.-

(a) each plastic carry bag and multilayered packaging shall have the following information printed in English or in local language, namely:-

(i) name, registration number of the manufacturer and thickness in case of carry bag;

(ii) name and registration number of the manufacturer in case of multilayered packaging.

(b) each recycled carry bag shall bear a label or a mark "recycled" as shown below and shall conform to the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;

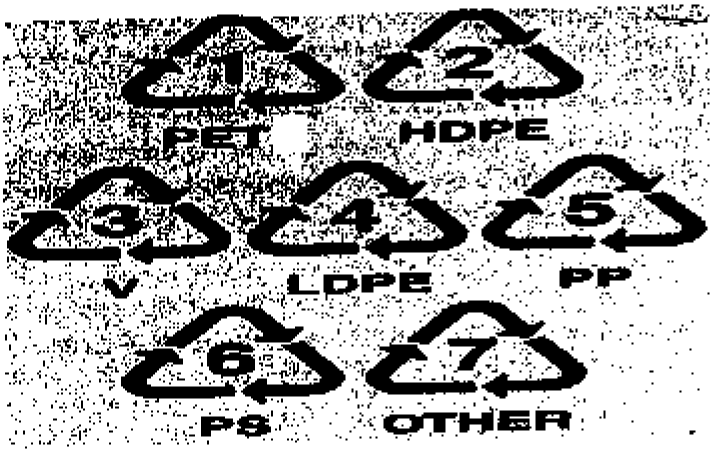

NOTE: PET-Polyethylene terephthalate, HDPE-High density polyethylene, V-Vinyl (PVC), LDPE- Low density polyethylene, PP-Polypropylene, PS-Polystyrene and Other means all other resins and multi-materials like ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PPO (Polyphenylene oxide), PC (Polycarbonate), PBT (Polybutylene terephalate) etc.

(c) each carry bag made from compostable plastics shall bear a label "compostable" and shall conform to the Indian Standard : IS/ISO 17088:2008 titled as Specifications for Compostable Plastics;

(d) retailers shall ensure that plastic carry bags and multilayered packaging sold by them are properly labelled, as per stipulations under these rules.

9. **Registration of Manufacturers and Recyclers.-**

(a) any person manufacturing or proposing to manufacture carry bags and multilayered plastics shall apply to the State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) of the Union territory concerned for the grant of registration or for the renewal of registration for the manufacturing unit using Form I appended to these rules;

(b) any person recycling or proposing to recycle carry bags or multilayered plastics or any plastic waste shall apply to the SPCB or PCC for grant of registration or renewal of registration for the recycling unit using Form 2 appended to these rules;

(c) no person shall manufacture carry bags or recycle plastic bags or multilayered plastics unless without obtaining the registration certificate from the SPCB or PCC, as the case may be, prior to the commencement of production;

(d) the SPCB and PCC shall not issue or renew a registration for manufacturing or recycling units unless the unit possesses a valid consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and certificate of registration issued by the District Industries Centre or any other government agency authorised in this regard;

(e) every State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall take a decision on the grant of registration within ninety days of receipt of an application that is complete in all respects;

(f) the registration granted under this rule shall be valid for a period of three years, unless revoked, suspended or cancelled; and registration shall not be revoked, suspended or cancelled without providing the manufacturer an opportunity for a hearing;

(g) every application for renewal of registration shall be made at least ninety days before the expiry of the validity of the registration certificate.

10. Explicit pricing of carry bags.-

No carry bags shall be made available free of cost by retailers to consumers. The concerned municipal authority may by notification determine the minimum price for carry bags depending upon their quality and size which covers their material and waste management costs in order to encourage their re-use so as to minimize plastic waste generation.

11. State Level Advisory Body.-

(1) There shall be a State Level Advisory Body to monitor the implementation of these Rules.

(2) The State Level Advisory Body shall consist of the following persons, namely:-

(a) the Secretary, Department of Urban Development	- Chairman
(b) one expert from State Department of Environment	- Member
(c) one expert from State Pollution Control Board or Pollution Control Committee	- Member
(d) one expert from Urban Local Body	- Member
(e) one expert from Non-Governmental Organisation	- Member
(f) one expert from the field of Industry	- Member and
(g) one expert from the field of academic institution	- Member

(3) The State Level Advisory Body shall meet at least once in a year and may invite experts, if it considers necessary.

12. Annual Reports.-

(1) each State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall prepare and submit the annual report to the Central Pollution Control Board on the implementation of these rules by the 30th day of September of each year;

(2) the Central Pollution Control Board shall prepare a consolidated annual report on the use and management of plastic waste and forward it to the central government along with its recommendations before the 30th day of December each year.

[F. No. 17-2/2001-HSMD]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

ANNEXURE

[See rule 7]

1.	IS/ISO 14851: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium-Method by measuring the oxygen demand in a closed Respirometer
2.	IS/ISO 14852: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium-Method by analysis of evolved carbon dioxide
3.	IS/ISO 14853: 2005 Plastics- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system-Method by measurement of biogas production
4.	IS/ISO 14855-1: 2005 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions-Method by analysis of evolved carbon dioxide (Part-1 General method)
5.	IS/ISO 14855-2: 2007 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions-Method by analysis of evolved carbon dioxide (Part-2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory- scale test)
6.	IS/ISO 15985: 2004 Plastics- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation and disintegration under high-solids anaerobic digestion conditions- Methods by analysis of released biogas
7.	IS/ISO 16929: 2002 Plastics- Determination of degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot - scale test
8.	IS/ISO 17556: 2003 Plastics- Determination of ultimate aerobic biodegradability in soil by measuring the oxygen demand in a Respirometer or the amount of carbon dioxide evolved
9.	IS/ISO 20200:2004 Plastics- Determination of degree of disintegration of plastic materials under simulated composting conditions in a laboratory - scale test

FORM - I

[See rules 9]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF A UNIT FOR THE MANUFACTURE OF PLASTIC CARRY BAGS AND MULTILAYERED PLASTICS

From: ....

....

....(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

.... Pollution Control Board/Pollution Control Committee

....

....

Sir,

I/We hereby apply for registration under rule 9 of the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011

PART – A GENERAL		
1.(a)	Name and location of the unit	
(b)	Address of the unit	
(c)	Registration required for manufacturing of: (i) Carry bags: (ii) Multilayered plastics	
(d)	Manufacturing capacity	
(e)	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
2.	Is the unit registered with the DIC/DCSSI of the State Government/Union territory? If yes, attach a copy.	
3.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
4. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
5.	Furnish a flow diagram of manufacturing process showing input and output in terms of products and waste generated including for captive power generation and water.	

6.	Minimum sizes and thickness of carry bags to be manufactured	
7.	Status of compliance with these rules	
PART – B PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
8.	(a) Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
	(b) Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART – C PERTAINING TO WASTE		
9.	Solid Wastes: (a) Total quantum of waste generated (b) Mode of storage within the plant (c) Provision made for disposal of wastes	

Name and Signature

Designation

Date :

Place :

FORM - 2
[see rule 9]

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF FACILITIES POSSESSING ENVIRONMENTALLY SOUND MANAGEMENT PRACTICES FOR RECYCLING PLASTIC WASTE

1.	Name and Address of the unit	
2.	Contact person with designation, Tel./Fax /email	
3.	Date Commissioned	

<table>
<tr><td>4.</td><td>No. of workers (including contract labour)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Consents Validity</td><td colspan="3">a. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974;
Valid up to ________________

b. Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981;
Valid up to________________</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Authorization validity</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Manufacturing Process</td><td colspan="3">Please attach a flow diagram of the manufacturing process flow diagram for each product.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Products and installed capacity of production (MTA)</td><td colspan="2">Products</td><td>Installed capacity</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Products manufactured during the last three years (as applicable)</td><td>Year</td><td>Product</td><td>Quantity</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Raw material consumed during the last three years (as applicable)</td><td>Year</td><td>Product</td><td>Quantity</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Water consumption</td><td colspan="3">Industrial ____________m^3/day
Domestic____________m^3 / day</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Date until which water cess has been paid (if applicable)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Waste water generation as per consent
____________m^3/day</td><td colspan="2">Actual waste water generated (average of last 3 months)
Industrial ____________m^3 /day
Domestic ____________m^3 /day</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Waste water treatment (provide flow diagram of the treatment scheme)</td><td colspan="2">Industrial
Domestic</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Waste water discharge</td><td colspan="2">Quantity ____________m^3/day
Location ________________
Analysis of treated waste water for pH, BOD, COD, SS, O&G, any other parameter stipulated by SPCB/PCC (attach details)</td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="2">Air Pollution Control</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">a. Provide a flow diagram for emission control system(s) installed for each processing unit, utilities etc.</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	b. Details for facilities provided for control of fugitive emissions due to material handling, process, utilities etc.				
	c. Fuel consumption	Fuel	Qty per day/month		
		(i)			
		(ii)			
	d. Stack emission monitoring	Stack attached to	Emission (SPM, SO_2, NOx , etc.) mg/Nm3		
		(i)			
		(ii)			
	e. Ambient air quality	Location Results $\mu g/m^3$	Parameters SPM, SO_2, NOx, etc.) $\mu g/m^3$		
		(i)			
		(ii)			
13.	Waste Management:	S No	Type	Category	Qty.
	a. Waste generation in processing plastic-waste	(i)			
		(ii)			
		(iii)			
	b. Waste Collection and transportation (attach details)				
	c. Waste Disposal details	S No	Type	Category	Qty
		(i)			
		(ii)			
	d. Provide details of the disposal facility, whether the facility is authorized by SPCB/SPCC				
	e. Please attach analysis report of characterization of waste generated (including leachate test if applicable)				
14.	Details of plastic waste proposed to be acquired through sale, auction, contract or import, as the case may be, for use as raw material	(i) Name (ii) Quantity required /year			
15.	Occupational safety and health aspects	Please provide details of facilities			
16.	Remarks:				
	Whether the unit has adequate pollution control systems / equipment to meet the standards of emission / effluent.	If Yes, please furnish details			

	Whether unit is in compliance with conditions laid down in the said rules.	Yes/No
	Whether conditions exist or are likely to exist of the material being handled / processed posing adverse immediate or delayed impacts on the environment.	Yes/No
	Whether conditions exist (or are likely to exist) of the material being handled / processed by any means capable of yielding another material (e.g. leachate) which may possess eco-toxicity.	Yes/No
17.	Any other relevant information	
18.	List of enclosures as per rule	

Name and Signature

Designation

Date :

Place :

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.